रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप -खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2276] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 12, 2019/आषाढ़ 21, 1941
No. 2276] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 12, 2019/ASHADHA 21, 1941

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## आदेश

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2019

**का.आ.2502(अ).—**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण की गुणवता के संरक्षण, सुरक्षा तथा सुधार और पर्यावरणीय प्रदूषण का उपशमन करने, नियंत्रण करने एवं उसे कम करने के प्रयोजन से ब्ल्यू फ्लैग प्रमाणन हेतु समुद्र तटों की पहचान करने का विनिश्चय किया है। समुद्र तट प्रबंधन, आयोजना और अवसंरचना के विकास, स्वच्छता, सुरक्षा और सुरक्षा सेवाओं से संबंधित परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से मान्य उच्चतम मानकों को प्राप्त करने हेतु विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात्, शिवराजपुर (देवभूमि द्वारिका, गुजरात), भोगावे (सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र), घोगला (दीव, दमन और द्वीव), मीरामार (पणजी, गोवा) कासरकोड (करवड़, कर्नाटक), पदुबिदरी (ऊपी, कर्नाटक), काप्पड़ (कोज़ीकोडे, केरल), ईडन (पुडुचेरी), महाबलीपुरम (कांचीपुरम, तमिलनाडु), रूशीकोंडा (विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश), गोल्डन (पुरी, ओडिशा), और राधानगर (पोर्टब्लेयर, अंडमान और निकोबार) में ब्ल्यू-फ्लैग प्रमाणन के लिए इन समुद्र तटों की पहचान की गई है।

और, केंद्र सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के अन्तर्गत उक्त नियमों के उपनियम (3) के खंड (क) के तहत सूचना की आवश्यकता को जनहित में अभिमुक्त करती है।

और, इसलिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (1986 का 29) के भाग 3 के उपभाग (1) और उपभाग (2) के खंड (i) से (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा यह घोषणा करती है कि उपरोक्त बारह समुद्र तटों में ब्ल्यू फ्लैग प्रमाणन के लिए एचटीएल से न्यूनतम 10 मीटर की दूरी बनाए रखने की शर्त के अध्यधीन समुद्र तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित स्ट्रक्चरों और सुविधाओं की अनुमति दी जाएगी, अर्थात्:

(क) कंटेनर आधारित शौचालय ब्लॉक, कपड़े बदलने वाले कमरे, शॉवर पैनल;

(ख) अस्थाई संरचनाओं में छोटे ग्रे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट;

(ग) अस्थाई संरचनाओं में छोटे ठोस अपशिष्ट रीसाइक्लिंग प्लांट;

(घ) ऑफ ग्रिड सोलर पीवी पैनल;

(ङ) शुद्ध् किया हुआ पेयजल क्योस्क;

(च) इंटरलिंकिंग पेवर ब्लॉक्स से निर्मित स्नान क्षेत्र से समुद्र तट तक पहुंच मार्ग;

(छ) विधिवत ग्राउंटेड खंभों पर एलईडी लैंडस्केप लाइटिंग;

(ज) बांस की बनी हुई पोर्टेबल सीटिंग बैंच और सिट-आउट छाते;

(झ) बच्चों के लिए आउटडोर खेल उपकरण,

(ञ) कंटेनर आधारित सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष और प्राथमिक चिकित्सा स्टेशन,

(ट) वॉच टावर; और

(ठ) समुद्र तट सूचना होर्डिंग बोर्ड और समुद्र तट नक्शा होर्डिंग बोर्ड।

[फा.सं.19-27/2015-आईए-III (पार्ट)]

रितेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**

**ORDER**

New Delhi, the 12th July, 2019

**S.O.2502(E).—**Whereas, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in order to conserve, protect and improve the quality of environment and preventing, controlling and abating environmental pollution has decided to identify beaches for the purpose of Blue Flag Certification. To achieve the internationally recognised highest standard for the purpose of beach management, planning and execution of projects for infrastructure development, cleanliness, safety and security services, these beaches have been identified for Blue Flag Certification in different States and Union territories such as Shivrajpur (Devbhumi Dwarka, Gujarat), Bhogave (Sindhudurg, Maharashtra), Ghoghla (Diu, Daman and Diu), Miramar (Panjim, Goa), Kasarkod (Karwar, Karnataka), Padubidri (Udpi, Karnataka), Kappad (Kozhikode, Kerala), Eden (Puducherry), Mahabalipuram (Kanchipuram, Tamil Nadu), Rushikonda (Vishakhapatnam, Andhra Pradesh), Golden (Puri, Odisha), and Radhanagar (Port Blair, Andaman & Nicobar).

And whereas, the Central Government, under sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, in public interest dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (i) to (iv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, (29 of 1986), the Central Government hereby declares that for the purpose of obtaining Blue Flag certification in the above mentioned twelve beaches, the following structures and facilities, shall be permitted in the Coastal Regulation Zone (CRZ) areas subject to maintaining a minimum distance of 10 meters from HTL viz:

(a) Container based toilet blocks, change rooms, shower panels;

(b) Mini grey water treatment plant enclosed in temporary structures;

(c) Mini solid waste recycling plant enclosed in temporary structures;

(d) Off grid solar PV panels;

(e) Purified drinking water kiosk;

(f) Beach access pathway to bathing zone made of interlinking paver blocks;

(g) LED landscape lighting with poles duly grouted;

(h) Portable bamboo made seating benches and sit-out umbrellas;

(i) Outdoor children play equipment;

(j) Container based CCTV control room and First aid station;

(k) Watch towers; and

(l) Beach Information hoarding boards and beach layout map hoarding boards.

[F. No. 19-27/2015-IA-III (Pt.)]

RITESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.07.12 16:35:29 +05'30'